छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,

छठवीं मंजिल टॉवर "सी" कामर्शियल–कॉम्प्लेक्स
सी.बी.डी. सेक्टर – 21, नया रायपुर (छ.ग.)

कमांक/विधि/ 392 /2018 रायपुर, दिनांक :04 .07.2018

:: आदेश ::

विपणन संघ की संचालक मण्डल की सभा दिनांक 28.03.2018 के विषय कमांक – 17 में पारित निर्णय तथा पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ नया रायपुर द्वारा पत्र क /विपणन–1/70/2018/2849/नया रायपुर दिनांक 18.06.2018 के तारतम्य में कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/113/2011/दिनांक 24.05.2011 को अधिक्रमित करते हुए विभिन्न न्यायालयों में संघ की ओर से वाद प्रस्तुत करने एवं संरक्षण करने के लिए नियुक्त अधिवक्ताओं को देय पारिश्रमिक (शुल्क) की संशोधित दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

क.	न्यायालय का नाम	दरें (रूपये में)	रिमार्क
1.	निम्न सहकारिता न्यायालयों में दायर प्रकरण	5,000.00	प्रकरण में निर्धारित फीस का 50% राशि का भुगतान जवाबदावा दायर होने एवं शेष 50% की राशि का भुगतान निर्णय के पश्चात् किया जावेगा।
2.	पंजीयक सहकारिता के समक्ष एवं जिला न्यायालयों में दायर प्रकरण	7,500.00	प्रकरण में निर्धारित फीस का 50% राशि का भुगतान जवाबदावा दायर होने एवं शेष 50% की राशि का भुगतान निर्णय के पश्चात् किया जावेगा।
3.	राजस्व मंडल, कमर्शियल कोर्ट, स्टेट कमीशन एवं छ.ग राज्य सहकारी अधिकरण के समक्ष दायर प्रकरण।	10,000.00	प्रकरण में निर्धारित फीस का 50% राशि का भुगतान जवाबदावा दायर होने एवं शेष 50% की राशि का भुगतान निर्णय के पश्चात् किया जावेगा।
4.	निम्न सहकारिता न्यायालयों में दायर क्षेत्राधिकार संबंधी प्रकरण।	5,000.00	–
5.	पंजीयक सहकारी एवं राजस्व मण्डल तथा जिला न्यायालयों में दायर क्षेत्राधिकार संबंधी प्रकरण।	6,000.00	–
6.	उपरोक्त समस्त प्रकरणों में लिपिकीय व्यय अतिरिक्त देय।	1,000.00	–
7.	माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित प्रकरण।	25,000.00	प्रकरण में निर्धारित फीस का 50% राशि का भुगतान जवाबदावा दायर होने एवं शेष 50% की राशि का भुगतान निर्णय के पश्चात् किया जावेगा।
8.	उच्च न्यायालय में केविएट दायर करने का पारिश्रमिक	10,000.00	–
9.	उच्च न्यायालय में लिपिकीय व्यय	3,000.00	–
10.	उपभोक्ता फोरम (राज्य/जिला)	7,500.00	प्रकरण में निर्धारित फीस का 50% राशि का भुगतान जवाबदावा दायर होने एवं शेष 50% की राशि का भुगतान निर्णय के पश्चात् किया जावेगा।

क्रमशः ... 2

04/07/18

Scanned by CamScanner

317

क.	न्यायालय का नाम	संशोधित दरें (रूपये में)	रिमार्क
11.	श्रम न्यायालयों में दायर प्रकरण (सहायक श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त एवं अन्य)	7,500.00	प्रकरण में निर्धारित फीस का 50% राशि का भुगतान जवाबदावा दायर होने एवं शेष 50% की राशि का भुगतान निर्णय के पश्चात् किया जावेगा।
12.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के समक्ष भविष्य निधि प्रकरणों पर	10,000.00	—
13	लिखित विधिक अभिमत हेतु	5,000.00	—

अन्य निर्देश निम्नानुसार होंगे :–

(1) निर्धारित पारिश्रमिक के अतिरिक्त अधिवक्ताओं को मुख्यालय से बाहर न्यायालय के प्रकरण में उपस्थित होने हेतु यात्रा करने पर संघ के प्रथम श्रेणी के अधिकारी के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा।

(2) पंजीयक न्यायालय में राशि वसूली संबंधी प्रकरणों पर एक लाख रूपये तक 5000.00 रू. अधिवक्ता शुल्क एवं एक लाख से अधिक के प्रकरणों पर 1000.00 रू. प्रति लाख अधिवक्ता शुल्क देय होगा।

(3) किसी भी न्यायालय में विशेष जटिल प्रकरणों में गुण दोष के आधार पर उपरोक्त निर्धारित सीमा से अधिक फीस (पारिश्रमिक) की स्वीकृति का अधिकार प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ को होगा।

(4) संघ के विरूद्ध दायर प्रकरणों में अधिवक्ता की नियुक्ति हेतु संबंधित जिला विपणन अधिकारी अपने जिले हेतु स्थानीय अधिवक्ताओं का पैनल तैयार कर लेंगे एवं उक्त पैनल में से निर्धारित पारिश्रमिक पर अधिवक्ता नियुक्त किये जावेंगे।

(5) प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी एवं अधिवक्ता नियुक्त करने की कार्यवाही इस कार्यालय द्वारा की जावेगी। अधिवक्ता नियुक्त हो जाने पर उपरोक्त सीमा तक भुगतान करने हेतु प्रबंध संचालक सक्षम होंगे।

(6) राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम नई दिल्ली, कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय ट्रिब्यूनल नई दिल्ली एवं अन्य अपीलीय ट्रिब्यूनल तथा आर्बिट्रेशन प्रकरणों में उच्च न्यायालय के समतुल्य अधिवक्ता शुल्क एवं व्ययों की राशि निर्धारित किया जाता है।

(7) एक से अधिक समान/समतुल्य प्रकरणों के लिए प्रथम प्रकरण में पूरी अधिवक्ता शुल्क एवं शेष प्रकरणों में आधी अधिवक्ता शुल्क का भुगतान किया जावे।

04/07/18
(अन्चलगन पी.)
प्रबंध संचालक
छ.ग. राज्य सह.विप.संघ मर्या.,
नया रायपुर

पृ.कमांक/विधि/ 392 /2018
रायपुर, दिनांक : 04 .07.2018

प्रतिलिपि :–

1. माननीय अध्यक्ष के निज सहायक को अध्यक्ष महोदय के ध्यानार्थ।
2. महा प्रबंधक (समस्त), मुख्यालय नया रायपुर को सूचनार्थ।
3. मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यालय नया रायपुर को सूचनार्थ।
4. जिला विपणन अधिकारी, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., (समस्त)..... को सूचनार्थ।

प्रबंध संचालक
छ.ग. राज्य सह.विप.संघ मर्या.,
नया रायपुर

Scanned by CamScanner